

नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा-रायसेन (म0प्र0)

विदिशा, दिनांक.....16.12.10

श्री हरिनारायण
आठ मनोराम निवासी रायखेन

जिम्मा- रायसेन (म०प्र०)

सदिनांक : आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.12.10

अतः प्रस्तावीन भूमि पर स्वयं ~~स्वायत्त~~ उपयोग हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं म 0 प्र 0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) के प्रावधान अनुसार निम्न शर्तों के आधार पर विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम / नियम / सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति / अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।
1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959
 2. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, रायसेन
 3. नजूल अधिकारी रायसेन
 4. मध्यप्रदेश राज्य विधुत मण्डल
 5. जल संसाधन विभाग (बांध नहर नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
 6. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति या अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास / निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उपविभाजन मान्य नहीं होगा।
3. प्रस्तावित भूमि के समुख मार्ग के मध्य से 18.0 मीटर मार्ग विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करना होगा।
4. प्रस्तावित भूमि में निर्मित क्षेत्र मानचित्र में दर्शाया अनुसार मान्य होगा।

Support

5. एफ. ए. आर. 1.00 तथा भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.00 मीटर ।
6. एम.ओ. एस. निम्नानुसार है :-
सामने - 3.00 मीटर पीछे - 2.5 मीटर आजू - 2.50 मीटर
हेतु भूमि छोड़ना आवश्यक होगा ।
7. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।
8. विद्युत लाइन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा ।
9. गण्ड 10 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग / रूफवाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी ।
10. किसी भी प्रकार की भूमि वाद-विवाद होने पर यह स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
11. इस अनुज्ञा को भू - स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।
12. यह अभिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा यह अनुज्ञापत उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा ।
13. प्रश्नाधीन भूमि / भूखण्ड पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें एवं भवन अनुज्ञा / अनुमति नगर पालिका रायसेन से प्राप्त की जाना होगा ।
14. उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक कर दी जावेगी ।

पृष्ठ सं. / 1901, 1902 / विअ/नग्रानि/10

S. S. S.
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा
विदिशा दिनांक 16.12.10

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन की और कृपया सूचनार्थ ।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका रायसेन की और कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

S. S. S.
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा
दिनांक 16.12.10